न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री कुलदीप सिंह शेखावत (आर॰ए॰एस॰)

जीएसएम नं. 2024/224

मुकदमा नम्बर (पुराने 31/2023 व 117/2023) नये 23/2024

दर्ज दिनांक–13.04.2023

1. सुभाष
2. बजरंगलाल
3. धर्मपाल
4. जगदेव आयु 52 वर्ष
5. मु. भगवानी देवी की उम्र 69 साल
6. मु. संतोष आयु 55 वर्ष पुत्रगण व पुत्रीगण फुलाराम जाति जाट निवासी जयसिंहपुरा तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू
7. महावीर सिंह आयु 66 वर्ष
8. भींवाराम आयु 61 वर्ष
9. मु. चंद्रावली, आयु 64 वर्ष
10. मु. सरस्वती आयु 59 वर्ष
11. मु. सरोज आयु 52 वर्ष पुत्रगण व पुत्रीगण झाबरराम जाति जाट निवासी जयसिंहपुरा तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू
12. सुभाष कुमार आयु 37 वर्ष पुत्र नेमीचन्द
13. श्रीमती लिछमा देवी आयु 70 वर्ष स्त्री नेमीचन्द
14. मु. विनोद आयु 46
15. सरिता उम्र 39 वर्ष पुत्रीयां नेमीचन्द जाति जाट निवासी जयसिंहपुरा तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू

आवेदकगण

1. गुलझारीलाल आयु 30 वर्ष
2. धुकल सिंह आयु 70 वर्ष
3. पन्ने सिंह आयु 66 वर्ष
4. मूलचन्द आयु 63 वर्ष पुत्रगण नारानाराम जाति जाट निवासी जयसिंहपुरा तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू
5. राजेन्द्र आयु 45 वर्ष
6. परमेश्वर आयु 38 वर्ष
7. संदीप आयु 30 वर्ष पुत्रगण फुलाराम जाति जाट निवासी जयसिंहपुरा तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू
8. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं
9. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बड़वासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक
10. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बड़वासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुंझुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

11. शेखावाटी ग्रामीण बैंक, शाखा बड़वासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक
12. केनरा बैंक शाखा नवलगढ जिला झुन्झुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक

अनावेदकगण

वकील आवेदक : – श्री किशोर कुमार जांगिड़
वकील अनावेदक :–श्री विप्लव पण्डित

प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थाई निषेधज्ञा
अ0धा0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 17.10.2025

आवेदक द्वारा प्रा0 पत्र बाबत् अस्थाई निषेधज्ञा अ0धा0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस कदर पेश किया कि, प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से उक्त प्रा. पत्र के साथ उनवानी दावा बाजाब्ता न्यायालय श्रीमान मे प्रस्तुत कर दिया है जिसमे सफलता मिलने की पूरी–पूरी आशा है। यह कि तहसील नवलगढ़ में जमीन खसरा नम्बर 57 तादादी 6.22 हैक्टर वाके ग्राम जयसिंहपुरा स्थित है जो प्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 6 की पैत्रिक खातेदारी की भूमि है। यह कि तहसील नवलगढ़ में ही जमीन मूल खसरा नम्बर 62 वाके ग्राम जयसिंहपुरा स्थित रही है जिसके बट्टा नम्बर 289/62 तादादी 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 290/62 तादादी 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 60 तादादी 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 291/62 तादादी 1.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 288/62 तादादी 1.66 हैक्टर वाके ग्राम जयसिंहपुरा में स्थित है जो पहले आवेदकगण व अप्रार्थीगण नम्बर 5 लगायत 7 की शामलाती पैतृक खातेदारी की भूमि रही जो बाद में सहखातेदारान के बीच विभाजन हो जाने पर विभाजन के अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण नम्बर 5 लगायत 7 के नाम से भिन्न भिन्न खातो में दर्ज है। उक्त अनुसार जमीन वर्णित धारा 2 व 3 प्रार्थना पत्र के खातेदारान के बीच इस भूमि के खातेदारान प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण नम्बर 5 लगायत 7 के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद नही है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण नम्बर 5 लगायत 7 का एक समान हित निहित है परन्तु अप्रार्थीगण नम्बर 5 लगायत 7 के वरवक्त प्रस्तुत किये जाने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मौके पर विधमान नहीं होने से अप्रार्थीगण नम्बर 5 लगायत 7. को प्रार्थना पत्र मे तरतीबी पक्षकार अप्रार्थीगण बनाया गया है। यह कि तहसील नवलगढ़ में जमीन खसरा नम्बर 74 तादादी 0.80 हैक्टर व खसरा नम्बर 75 तादादी 1.77 हैक्टर वाके ग्राम जयसिंहपुरा स्थित है जो भूमि अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 4 की खातेदारी मे दर्ज है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि वर्णित धारा 3 प्रार्थना पत्र के पश्चिम में स्थित भूमि खसरा नम्बर 73 तादादी 2.33 हैक्टर वाके ग्राम जयसिंहपुरा के दक्षिण में स्थित है। अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 4 अपनी

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 74 व 75 मे आवागमन अपनी इस भूमि से दक्षिण में जाखल–गुढ़ा से बडवासी–नवलगढ़ जाने वाली सड़क से अपने बुजुर्गो के समय से करते आ रहे है जो सड़क अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 4 के खातेदारी की उक्त भूमि के पास से ही करीब 50 से 100 मीटर की दूरी से ही गुजरती है। यह कि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण नम्बर 5 लगायत 7 अपनी खातेदारी की भूमि वर्णित धारा 2 व 3 प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण नं. 1 लगायत 6 की खातेदारी की भूमि वर्णित धारा 2 प्रार्थना पत्र पत्र खसरा नम्बर 57 तादादी 6.22 हेक्टर के पूर्व में स्थित कटानी रास्ता से पश्चिम मे फटकर खसरा नम्बर 57 की दक्षिणी सीमा पर से स्थित पगडंडी से अपनी–अपनी खातेदारी की भूमि में आपसी सहमति से आवागमन करते है। उक्त अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण नम्बर 5 लगायत 7 की आपसी सहमति से खसरा नम्बर 57 की दक्षिणी सीमा से खसरा मार 291/62 की पूर्वी सीमा तक आकर आगे अपनी–अपनी आवश्यकतानुसार अपनी–अपनी खातेदारी की भूमि में प्रवेश करते हैं।. खसरा नम्बर 289/62 की पूर्वी सीमा पर दक्षिण में खसरा नम्बर 59 स सटकर रिहायशी गुवाडी प्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 6 व कुआ स्थित है। खसरा नम्बर 289/62 व खसरा नम्बर 60 की दक्षिणी सीमा पर किसी प्रकार से आवागमन के लिए कोई पगडंडी स्थित नही है, न कभी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण नम्बर 5 लगायत 7 को कभी इसकी आवश्यकता ही पड़ी। प्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 6 के मकान से दक्षिण में सटकर खसरा नम्बर 59 की उत्तरी सीमा से सटकर स्थित है। प्रार्थीगण नं. 1 लगायत 6 के मकानात बहुत पहले काफी वर्षों पुराने बने हुये है। इसलिए यहां सीमा पर किसी प्रकार कोई रास्ता या पगडंडी कभी स्थित होने का भी कोई प्रश्न नही है। यह कि अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 4 की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 74 व 75 में आवागमन के लिए प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण नम्बर 5 लगायत 7 की खातेदारी की जमीन वर्णित धारा 2 व 3 प्रार्थना पत्र की दक्षिणी सीमा पर कभी कोई रास्ता स्थित नही रहा। जमीन वर्णित धारा 2 लगायत 4 के नया नक्शा किश्तवार का अवलोकन किया जावे तो खरूरा नम्नर 57. 291/62, 290/62 व खसरा नम्बर 60 की दक्षिणी सीमा पर किसी प्रकार के रास्ता के कोई निशानात मौजुद नही है नया नक्शा किश्तवार सन 1979–80 में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा तैयार की गई है। जिसमे उक्त अनुसार विवादित जमीन वर्णित धारा 2 लगायत 4 प्रार्थना पत्र मे दर्ज खसरा नम्बरान अंकित है। इससे पूर्व सम्वत 1992–93 तदानुसार सन 1935–36 मे नक्शाशीट बनाई गई थी जिसे पुरानी नक्शाशीट के नाम से पुकारा जाता है। पुराने व नये खसरा नम्बरान के मिलान के लिए मिलान क्षेत्रफल सेटलमेन्ट के दौरान तैयार किये गये थे। विवादित भूमि के मिलान क्षेत्रफत्र का अवलोकन किया जावे तो विवादित जमीन नया खसरा नम्बर 890 तादादी 6.22 हैक्टर वाके ग्राम जयसिंहपुरा डाले गये। तत्पश्चात नया खसरा नम्बर 890 से पुनः खसरा नम्बर 57 तादादी 6.22 हैक्टर वाके ग्राम जयसिंहपुरा डाले गये है जो वर्तमान में अस्तित्व मे है। इसी प्रकार जमीन वर्णित धारा 3 प्रार्थना पत्र मे नया खसरा नम्बर 893 तादादी 0.03 हैक्टर, पुराना खसरा नम्बर 812/1मी, नया खसरा नम्बर 894 तादादी 5.00 हैक्टर भी पुराना खसरा नम्बर 812/1 मी.. नया खसरा नम्बर 895 तादादी 0.03 हैक्टर पुराना खसरा नम्बर 812/1मी से बनाये जाकर पुनः

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

नये खसरा नम्बर 60 तादादी 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 61 तादादी 0.03 हैक्टर व खसरा नम्बर 62 तादादी 5.00 हैक्टर बनाये गये। सेटलमेन्ट के बाद खसरा नम्बरं 62 का सहखातेदारान के बीच विभाजन होने पर पुनः खसरा नम्बर जमाबन्दी रिकॉर्ड के अनुसार नये खसरा नम्बर 289/62 तादादी 0.18 हेक्टर, खसरा नम्बर 290/62 तादादी 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 60 तादादी 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 291/62 तादादी 1.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 288/62 तादादी 1.66 हैक्टर वाके ग्राम जयसिंहपुरा वर्तमान में अस्तित्व में है। यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण नम्बर 5 लगायत 7 की खातेदारी की जमीन वर्णित धारा 2 व 3 प्रार्थना पत्र मे से जमीन वर्णित धारा 4 प्रार्थना पत्र के खातेदारान अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 4 के आवागमन के लिए कभी किसी प्रकार से कोई रास्ता न तो इस जमीन राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार कभी कायम रहा व नं भौतिक रूप से मौके पर कभी रास्ता विधमान रहा। दिनांक 20.3.2023 को अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत ने प्रार्थीगण को प्रार्थीगण की खातेदारी की जमीन वर्णित धारा 2 व 3 प्रार्थना पत्र में से अपनी खातेदारी की जमीन वर्णित धारा 4 प्रार्थना पत्र मे आवागमन का रास्ता तहसीलदार अप्रार्थी नं. 8 से कायम करवा दिया है तथा यह भी कहा कि अप्रार्थीगण नं. 1 लगायत 4 अब प्रार्थीगण की खातेदारी की जमीन मे से आवागमन करेगे तथा आवश्यकतानुसार ट्रेक्टर आदि भी लाऐं ले जायेगें। इस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी नं. 8 के कार्यालय तहसील नवलगढ़ में जानकारी की तो प्रार्थीगण को जानकारी मिली की अप्रार्थी नं. 8 के द्वारा पटवारी व गिरदावर हल्का को आदेश दिये जाने पर मौके की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करवाकर उसके बाद नक्शाशीट मे लाल रोशनाई से प्रार्थीगण की खातेदारी की जमीन वर्णित धारा 2 व 3 प्रार्थना पत्र की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे डबल डोटेड लाईन से रास्ता कायम करवा दिया गया है जिसके आधार पर ही अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 4 प्रार्थीगण की खातेदारी की जमीन वर्णित धारा 2 व 3 प्रार्थना पत्र में से अपनी खातेदारी के खेत मे आवागमन करने की बात कह रहे है। कानून की यह सुस्थापित व्यवस्था है कि तहसीलदार को किसी खातेदार की जमीन में से अपनी इच्छानुसार रास्ता किसी प्रकार से कायम करने का कोई क्षेत्राधिकार ही नहीं है। यह भी कानून की सुस्थापित व्यवस्था है कि पुराने रिकॉर्ड में किसी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी, नक्शा किश्तवार आदि में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करने का सेटलमेन्ट विभाग को कोई अधिकार नहीं है। विवादित जमीन के नक्शा किश्तवार सन 1935–36 व नया नक्शा किश्तवार सन 1979–80 का अवलोकन किया जावे तो इस नक्शा शीट में प्रार्थीगण की खातेदारी की जमीन वर्णित धारा 2 व 3 प्रार्थना पत्र मे से कोई रास्ता किसी प्रकार से मार्क किया जाना प्रकट नही होता फिर बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अप्रार्थी नं. 8 को प्रार्थीगण की खातेदारी की जमीन वर्णित धारा 2 व 3 प्रार्थना पत्र मे से किसी प्रकार से रास्ता मार्क किये जाने का क्षेत्रधिकार नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी नं. 8 के द्वारा दिये गये आदेश के आधार पर प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि मे से नक्शा किश्तवार मे जो रास्ता के निशान भार्क किये गये है वे निराधार व बिना क्षेत्राधिकार के होने से कानून से एब इनिसियों नल एण्ड वोईड है तथा प्रार्थीगण के हक अधिकारो के विपरीत शून्य, बेअसर व निष्प्रभावी है जिसके आधार पर अप्रार्थीगण नं. 1 लगायत 4 को

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

प्रार्थीगण की खातेदारी की जमीन वर्णित धारा 2 व 3 में से अपने खेत मे आवागमन के लिए किसी प्रकार से कोई अधिकार प्राप्त नही होते। अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 4 उक्त अनुसार बिना किसी आधार पर प्रार्थीगण की जमीन मे से मार्क किया जाना बताये गये रास्ता से आवागमन करने के लिए नाजायज रूप से बिना किसी प्रकार के अधिकार के प्रार्थीगण को धमकियां दे रहे है तथा प्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार से आवागमन में बाधा डालने पर प्रार्थीगण को जान से खत्म करने व झूठा मुकदमा प्रार्थीगण के विरुद्ध कर इन्हें फंसाने की भी धमकियां दे रहे है। इस कारण प्रार्थीगण को अपने हक अधिकारो की सुरक्षा के लिए यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है।

यह कि प्रार्थीगण का बहुत ही स्ट्रोंग प्राईमाफेसी केस है तथा मामला अर्जेन्ट नेचर का है। प्रार्थीगण की खातेदारी की जमीन वर्णित धारा 2. 3 प्रार्थना पत्र में से अप्रार्थीगण नं. 1 लगायत 4 के आवागमन के लिए कभी किसी प्रकार का कोई रास्ता नही रहा। अप्रार्थीगण नं. 1 लगायत 4 के लिए दक्षिण दिशा से वैकल्पिक रास्ता मौजुद है। जिससे अप्रार्थीगण हमेशा से अपनी खातेदारी की जमीन मे आवागमन कर रहे है। सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण जहां से रास्ता कायम करने की धमकी दे रहे है, वहां प्रार्थीगण के मकानात बने हुये है। यदि अप्रार्थीगण दौराने दावा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि वर्णित धारा 2 व 3 प्रार्थना पत्र मे से रास्ता कायम कर लेगे तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति जरे नगद से भी नहीं की जा सकेगी। इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्व तुरन्त प्रभाव से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। यह कि प्रार्थना पत्र को सुनने का हक न्यायालय श्रीमान को अः धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट व अः धारा 39 नियम 1, 2 व धारा 151 जा.दी है। यह कि प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण दौराने दावा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 57. 291/62, 60, 289/62 व 288/62 वाके ग्राम जयसिंहपुरा के किसी भाग में से अपनी खातेदारी की भूमि मे आवागमन में न तो कोई रास्ता कायम करे व न प्रार्थीगण की इस भूमि में जबरन बलपूर्वक अपनी खातेदारी की भूमि में आवागमन के लिए रास्ता कायम कर आवागमन करें।

प्रा. पत्र बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में अनावेदक सं. 2 लगा. 4 द्वारा जरिये वकील निम्न प्रकार से जवाब पेश किया गयाः–

यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में दर्ज अनुसार आवेदकगण द्वारा दावा प्रस्तुत करना स्वीकार है परन्तु आवेदकगण ने बहुत ही कमजोर आधारो पर बिना वादकारण के मियाद बाहर विधि द्वारा वर्जित वाद प्रस्तुत किया है जिसमें आवेदकगण को किसी प्रकार की सहायता प्राप्त होने की गुंजाईश नही है प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही हर्जे–खर्चे सहित खारिज होने योग्य है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज अनुसार खसरा नम्बर की भूमि ग्राम जयसिंहपुरा में स्थित होना स्वीकार है परन्तु उक्त खसरा नम्बर की भूमि में उत्तरदातागण का रास्ते का अधिकार विधमान है इसलिए आवेदकगण द्वारा मात्र अपनी

उपखण्ड अधिकारी

पैतृक खातेदारी की भूमि दर्ज करना अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 जिस प्रकार से दर्ज है, गलत होने से अस्वीकार है। आवेदकगण ने माननीय न्यायालय में गलत वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में दर्ज अनुसार खसरा नम्बर 74 रकबा 0.80 है० व खसरा नम्बर 75 रकबा 1.77 है0 उत्तरदातागण की होना, खसरा नम्बर 57 के पश्चिम में व खसरा नम्बर 73 के दक्षिण में उत्तरदाता की भूमि स्थित होना स्वीकार है परन्तु आवेदकगण ने जाखल गुढ़ा सड़क से उत्तरदातगण द्वारा आवागमन करना गलत होने से अस्वीकार है वास्तव में उत्तरदातागण जाखल गुढ़ा सड़क से उत्तर में सड़क ग्राम ढाका का बास जाती है जिससे पश्चिम में फटकर करीब 10 फिट चौड़ा रास्ता खसरा नम्बर 57, खसरा नम्बर 291/62, खसरा नम्बर 60, खसरा नम्बर 284/62, खसरा नम्बर 288/62 के दक्षिणी सीमा से सटते हुये खसरा नम्बर 74 व 75 में जाता है जो उत्तरदातागण का एकमात्र रास्ता है आवेदकगण ने न्यायालय को मुगालते में डालने के लिए उक्त मद में झुठे कथन दर्ज किये है तथा तथ्यों को छुपाकर बिना क्लीन हैंड के न्यायालय में आये है जिनके आधार पर आवेदकगण किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नही है आवेदकगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 जिस प्रकार से दर्ज है, गलत होने से अस्वीकार है। उक्त मद में आवेदकगण ने आपसी सहमति से आवागमन करने खसरा नम्बर 289/62 व 60 की दक्षिणी सीमा पर किसी प्रकार से आवागमन के लिए कोई पगडण्डी/रास्ता नही होने, आवेदकगण नं. 1 लगायत 6 के मकान से दक्षिण में सटकर खसरा नम्बर 59 की उत्तरी सीमा से सटकर होने का कथन तथा उक्त स्थान पर पुराने मकान बने होने का कथन किसी प्रकार का रास्ता/पगडण्डी स्थित नही होने का कथन दस्तावेजी साक्ष्य व मौके की स्थिति के विपरीत दर्ज किया है जबकि ग्राम ढाका का बास जाने वाली सड़क से फटकर आवेदकगण के खेत में से उत्तरदातागण के खेत तक पुराने समय से रास्ता मौजूद है उत्तरदातागण अपने हिस्से की भूमि में हमेशा से आवागमन करते आये है जिसके संबंध में निर्णय पारित हुये है जिनकी जानकारी आवेदकगण को है परन्तु तमाम निर्णय के तथ्यों बैंडिट को छुपाकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 जिस प्रकार से दर्ज है, गलत होने से अस्वीकार है। उक्त मद में आवेदकगण का दर्ज कथन कि अनावेदकगण नं. 1 लगायत 4 कोई रास्ता स्थित नही रहा है एक साथ व अलग अलग रूप से अस्वीकार है। आवेदकगण ने राजस्व नक्शे व मौके की स्थिति के संबंध में भी उक्त मद में गलत कथन दर्ज किये है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 जिस प्रकार से दर्ज है, गलत होने से अस्वीकार है। आवेदकगण ने उक्त मद में आवागमन के लिए कोई रास्ता नही होने, मौके पर रास्ता नही होने के कथन गलत दर्ज किये है। उत्तरदातागण अपनी काश्त की भूमि में कृषि कार्य करने, कृषि औजारों को लाने व ले जाने का कार्य हमेशा से उपरोक्त रास्ते से ही किया है जहाँ तक आवेदकगण का दर्ज कथन कि प्रतिवादी नं0 8 के कार्यालय से रास्ता की जानकारी मिली सरासर गलत दर्ज किया है आवेदकगण को रास्ते के संबंध में पारित निर्णय की शुरू से

उपखण्ड अधिकारी

जानकारी है आवेदकगण के पूर्वज निर्णयों में बतौर पक्षकार संयोजित थे निर्णय के परिपेक्ष्य में राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते का अंकन किया गया है इसलिए तहसीलदार को क्षेत्राधिकार नहीं होने का कथन आवेदकगण ने गलत दर्ज किया है तथा सैटलमेन्ट ॲथोरिटी के निर्णय पर भी गलत आक्षेप लगाया है सैटलमेन्ट ॲथॉरिटी ने पक्षकारों को सुनकर नोटिस जारी करके प्रोसेडिंग अप्लाई करके विधि अनुसार निर्णय पारित किया जिसकी जिला कलेक्टर झुन्झुनूं कें यहां अपील प्रस्तुत की गई जो जिला कलेक्टर महोदय ने निरस्त कर दिया तथा सेटलमेन्ट ॲथॉरिटी का निर्णय यथावत रहा अर्थात सैटलमेन्ट ॲथॉरिटी का निर्णय जिला कलेक्टर झुन्झुनूं द्वारा यथावत रखा है इस प्रकार आवेदकगण को निर्णय की जानकारी है राजस्व रिकॉर्ड के बारे में शुरू से जानकारी है और अब उक्त वाद / प्रार्थना पत्र में वर्तमान में जानकारी होने का कथन निराधार दर्ज किया है आवेदकगण ने पूर्ववर्ती निर्णय को छुपाया है तथा उत्तरदातागण को रास्ते के अधिकार से वंचित करने के लिए उक्त वाद / प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर आवेदकगण किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 8 जिस प्रकार से दर्ज है, गलत होने से अस्वीकार है। आवेदकगण का ना तो प्राईमाफेसी स्ट्रॉग मामला है ना ही अर्जेन्ट नेचर का है ना ही उत्तरदातागण के कोई वैकल्पिक रास्ता है जो दस्तावेजी साक्ष्य से भी प्रमाणित है वैसे भी उक्त कथन दर्ज करके आवेदकगण क्या साबित करना चाहते है स्पष्ट नहीं किया गया है आवेदकगण को किसी प्रकार की क्षति नही है अपीलीय न्यायालय द्वारा अनेक सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये है कि रास्ते का अधिकार सर्वोपरी अधिकार है जिससे किसी को वंचित नही किया जा सकता। आवेदकगण प्रार्थना पत्र के माध्यम से उत्तरदातागण का रास्ता हड़पना चाहते है और इसी दुष्मंशा से प्रेरित होकर उक्त प्रार्थना पत्र वैग तथ्यों पर प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है।

यह कि ग्राम जयसिंहपुरा में भूमि खसरा नम्बर 74 व 75 अवस्थित है जिसके उत्तरदाता खातेदार काश्तकार है ग्राम नवलगढ़ से जाखल गुढ़ा सड़क जाती है जिसके उत्तर में फटकर एक सड़क ग्राम ढाका का बास जाती है सड़क से पश्चिम दिशा में फटकर एक रास्ता खसरा नम्बर 57. 291/62, 60, 284/62, 288/62 के दक्षिण सीमा से सटते हुये खसरा नम्बर 74, 75 में जाता है जो उत्तरदाता का एकमात्र रास्ता है जिससे होकर अपने खेत में पीढ़ियों से आवागमन करते है जो मौके पर चालू था इसलिए एएसओं भू–प्रबन्ध विभाग ने दौराने भू–प्रबन्ध कार्यवाही रास्ते के संबंध में प्रकरण दर्ज करके आवेदकगण के पूर्वजो के नोटिस जारी करके बाद सूचना दिनांक 13.06.1985 को निर्णय पारित किया। एएसओ भू–प्रबन्ध विभाग ने आवेदकगण का रास्ता माना है उक्त आदेश के विरूद्ध जिला कलेक्टर महोदय झुन्झुनूं के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 17. 10.1989 को खारिज की गई अर्थात एएसओ भू–प्रबन्ध विभाग का आदेश यथावत रहा। आवेदकगण उक्त अपील में पक्षकार संयोजित थे जिला कलेक्टर महोदय के आदेश के उपरान्त तहसीलदार नवलगढ़ ने राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया है एएसओ भू–प्रबन्ध विभाग व जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम है जिसकी कोई अपील पेश नही की गई और आवेदकगण निर्णय के विपरीत उक्त वाद प्रस्तुत किया है जो विधि द्वारा वर्जित है जिला

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

कलेक्टर झुन्झुनूं के न्यायालय होने के उपरान्त तहसीलदार नवलगढ ने राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते का अंकन किया इसलिए आवेदकगण ने मात्र भू–प्रबन्ध विभाग का निर्णय होने का कथन निराधार दर्ज किया है आवेदकगण ने वर्तमान में रास्ते में ऑब्सट्रक्शन पैदा किया तो उत्तरदातागण ने तहसीलदार नवलगढ के यहां शिकायत प्रस्तुत की तहसीलदार नवलगढ ने बाद प्रक्रिया रास्ते को खोले जाने का आदेश पारित किया उक्त आदेश की भी किसी प्रकार की कोई अपील प्रस्तुत नही की गई ओर सीधे ही रास्ते को हड़पने के लिए उक्त वाद/प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर आवेदकगण किसी प्रकार की घोषणा अथवा अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है आवेदकगण ने तथ्यों को छुपाकर बिना क्लीन हैंड के रास्ते के अधिकार से वंचित करने के प्रयोजन से उक्त वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। यह कि आवेदकगण को उक्त वाद के लिए वाद की विषय वस्तु के संबंध में किसी प्रकार का कोई वादहैतुक अथवा वादकारण पैदा नही हुआ है इसलिए वादहेतुक/वादकारण के अभाव में आवेदकगण का बाद/प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। यह कि आवेदकगण को राजस्व रिकॉर्ड व रास्ते के संबंध में पारित निर्णयों की सन् 1985, 1989 से जानकारी है और न्यायालय में मिथ्या दिनांक का उल्लेख करके स्पष्टतया मियाद बाहर उक्त वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है।

अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि आवेदकगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जायें।

प्रकरण में दिनांक 13.04.2023 को अन्तरिम स्थगन आदेश मौके एंव राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये अन्तरिम आदेश आगमी आदेश तक जारी किया हुआ है। तद्पश्चात् वकील उभय पक्ष द्वारा बहस अन्तिम का निवेदन करने पर बहस प्रा. पत्र बगौर सुनी गई।

वकील आवेदक ने अपने प्रा. पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का हवाला देते हुये प्रा. पत्र मे दिनांक 13.04.2023 को पारित अन्तरिम स्थगन आदेश तादौराने वाद पुष्ठ करने का निवेदन किया। वकील अनावेदक द्वारा विरोध करते हुये तथा अपने जवाब प्रा. पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रा. पत्र मे पारित अन्तरिम स्थन आदेश को वेकट/अपास्त करने हुये प्रा. पत्र मय हर्जा–खर्चा खारीज किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान वकुलान उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों ,नक्शें व साक्ष्यों से प्रथम दृष्ट्या यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी की भूमि में से अप्रार्थी के खेत तक पहुॅचने हेतु एक प्रचलित रास्ता मौजूद रहा है, जिसे राजस्व अभिलेखों मे डोटेड लाईन के रूप में अंकित किया गया है। न्यायहित तथा दोनो पक्षों के अधिकारों के संतुलन हेतु प्रा. पत्र अस्थाई निषेधज्ञा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को **तादौराने वाद** इस आशय से पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार से क़ब्जे में बाधा न करे तथा प्रचलित/डोटेड रास्ते से इतर किसी नये रास्ते को

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

खोलने का प्रयास न करे। उक्त आदेश चालू/प्रचलित /डोटेड/कटाणशुद्वा रास्तो पर प्रभावी नही होगा। **उक्त आदेश प्रकरण में पूर्व मे जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 13.04.2023 के संदर्भ व अतिक्रमण में** जारी किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा मूल वाद सं. 113/2024 के साथ नत्थी रहेगी। आदेश आज दिनांक 17.10.2025 को मैरे द्वारा लिखाया जाकर ,खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कुलदीप सिंह शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी,नवलगढ़
जिला–झुझुंनू